उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–3556–औ0सं0–2014–116 ए0एस0/96 दिनांक : 22 अक्टूबर, 2014

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवम् केस्को, कानपुर।
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

विषयः– वर्ष 2013–2014 हेतु कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा लेखा वर्ष 2013–2014 के लिए अपने पूर्ण कालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को शासन की अनुरूपता में सिद्धान्तरूप में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की निम्नलिखित प्रतिबन्धो सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. नई वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800/– तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरिक्षित वेतनमानों में अधिकतम रू0 13500/– से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिर्वतन न हुआ हो, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।
2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होनें 31 मार्च 2014 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिये एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2014 को ग्राहय परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।
4. दिनांक 31 मार्च 2014 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ 3500/– से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 3500/– की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च 2014 को 30 दिन की परिलब्धियाँ (3500 x 30/30.4=3453.95) अर्थात रू0 3454/– तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होगी।
5. ऐसे विभागीय कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2012–2013 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि देय न होगी।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह राशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णाकित किया जायेगा

क्रमशः 2/–

8. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होंनें दिनांक 31 मार्च 2014 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंनें दिनांक 31 मार्च 2014 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियाँ रू0 1200/– प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रू0 1200 x 30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184 पूर्णांकित होगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रू0 1200/– प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि की वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

वर्ष 2013–2014 की अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में पृथक से दिशा–निर्देश/आदेश निर्गत किये जायेगें।

संजय अग्रवाल
अध्यक्ष

संख्या–3556–औ0सं0–2014/तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0) के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वाणिज्य)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, लेखा एवं प्रशासन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)